

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प

क्रमांक: राजस्व/2021/26


दिनांक : 12 / 11 / 2021

आदेश

आवेदक श्री नागपण पुत्र दयाला श्रीग ने
तहसील कोटखावदा में ग्राम विमलपुर स्थित आराजी
ख.न. खाता सं. 22 रकबा 9.28 है के संबंध में जमाबन्दी
सम्बत् 2073-76 के खाता संख्या 22 पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
आपडाहला की जमाबन्दी के खाता संख्या 22 की प्रविष्टि के
स्थान पर नागपण पुत्र दयाला श्रीग के खाता सं. 112 फूल दयाला
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।


अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का आपडाहला की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री नागपण पुत्र
श्री दयाला जाति श्रीग निवासी किरलडा
तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2073-76
के खाता संख्या 22 में अंकित प्रविष्टि
के स्थान पर नागपण पुत्र दयाला
(नागपण पुत्र दयाला) नागपण पुत्र दयाला
किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
किया जावे।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)


शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
दिनांक : 12 / 11 / 2021

क्रमांक: राजस्व/2021/26

- प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-
1. तहसीलदार कोटखावदा
 2. पटवारी हल्का आपडाहला


शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)